न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 25/2016 (उदयपुर आर्डर)

1. श्रीमती गंगाबाई बेवा मोड़ा जी डांगी निवासी थूर तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज0)
2. श्रीमती डाली बाई (पिता मोड़ा जी) पत्नी पूरा जी डांगी निवासी लोयरा तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज0)
3. श्रीमती भंवरी बाई (पिता मोड़ा जी) पत्नी अमरा जी डांगी निवासी डांगियों का गुड़ा तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गांव जिला उदयपुर
2. नगर विकास प्रन्यास उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर
(फास्टट्रेक) गिर्वा दि0 25–06–2016 प्रकरण
संख्या 51/2015 प्रार्थना पत्र

––––

उपस्थित :–1– श्री औंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री पंकज भटनागर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1
3– श्री नरपतसिंह चुण्डावत रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2

–––––/–––––

निर्णय **दिनांक 07–09–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम फेरणियों का गुड़ा की आराजी नंबर 1962 रकबा .58 हैक्टर भूमि जिसके साबिक नंबर 1109 मीन रकबा 3 बीघा का आवंटन 9–6–1978 को कृषि भूमि आवंटन नियमों के

तहत किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 863 दिनांक 28–11–1978 से अपीलान्ट के पूर्वज मोड़ा जी के नाम आराजी नंबर 1109/8 रकबा 3 बीघा दर्ज किया गया। मोड़ाजी की मृत्यु बाद अपीलान्ट उसके वारिस होकर काबिज है। भू–प्रबन्ध के दौरान नामान्तरकरण का अमलदरामद भी किया पर जमाबन्दी में त्रुटिपूर्ण रूप से नाम दर्ज नहीं किया जाकर भूमि को बिलानाम रख दी गई व बाद में यह नगर विकास प्रन्यास को आंवटित कर दी गई, जो त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर भूमि का बिलानाम होना व नगर विकास प्रन्यास को आवंटित होकर उनका कब्जा होना वर्णित किया।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिंनाक 25–6–2016 को प्रकरण को लोक अदालत में रखकर निम्नानुसार निर्णय पारित किया :–

"लोक अदालत कैम्प कविता अटल सेवा केन्द्र पर प्रकरण प्रस्तुत हुआ प्रार्थीया व सरकार की और से तहसीलदार बड़गांव उपस्थित। प्रार्थीया को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड अनुसार प्रार्थीगण कभी भी खातेदार नहीं रहे। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थीगणों के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का खारीज किया जाता है। प्रकरण फेसल शुमार होकर नं. से कम हो"।

ह0/–
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) गिर्वा
कलक्टर परिसर,उदयपुर

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 25–6–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–8–2016 को पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या –1 की और से अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 की और से श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उपभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों मे लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट्स ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने पेश शुदा दस्तावेजों व तथ्यों की अनदेखी कर सरसरी त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तत्वों पर भी विवेचन नहीं किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि श्री मोड़ा को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उसके आवेदन पर दिनांक 9—6—1978 को ग्राम थूर की आराजी नंबर 1109 में 3 बीघा भूमि आवंटित की गई है तथा उक्त आवंटन की पालना में पटवारी द्वारा भूमि का कब्जा दिनांक 13—7—1978 को प्रार्थी को सिपुर्द किया गया है, जिसका नक्शा भी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। खसरा नातोड़ भी मोडा के नाम आराजी नंबर 1109 रकबा 3 बीघा का दर्ज है। आवंटन आदेश भी 9—6—1978 का पत्रावली में उपलब्ध है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2038—2041 एवं 2042—2045 में आराजी नंबर 1109/8 रकबा 3 बीघा में भी मोड़ा का नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण बाबत् कोई विवेचन नहीं किया है। प्रकरण में हालांकि हाल आराजी नंबर 1963 का 1109 मीन से बनने का मिलान क्षैत्रफल है, परन्तु नक्शे में आराजी नंबर 1109 मीन तथा 1109/8 एवं रकबा का भी 3 बीघा व 58 एयर मिलान होता है। तद्नुसार इस स्तर पर प्रार्थी के प्रथम दृष्टया स्वत्व की प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध है, जो मूल वाद में साक्ष्य सबूत आधार पर तय होगी। प्रकरण में जहां तक प्रथम दृष्टया कब्जे का प्रश्न है, वर्ष 1978 से लेकर आज तक भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा रहने की कोई प्रारम्भिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिवाय कब्जा सिपुर्दगी तथा खसरा गिरदावरी जो कि अधिकतम सम्वत् 2045 तक की है। तद्नुसार वाद दायरी दिनांक को अपीलान्ट प्रार्थी का कब्जा होना इस स्तर पर प्रथम दृष्टया नहीं माना जा सकता। तद्नुसार समग्र रूप से अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रथम दृष्टया स्वत्व तक ही माना जा सकता

है एवं तद्नुसार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त अपीलान्ट के पक्ष में इस हद तक रहते है कि यदि इस भूमि को इस दौरान यदि किसी प्रकार से आवंटित/हस्तान्तरित किया जाता है तो अनावश्यक विवाद व मुकदमेंबाजी बढ़ेगी। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25–6–2016 अपास्त किया जाकर विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट का मूल वाद के निस्तारण तक की अपीलान्ट ग्राम फेरणियों का गुड़ा की आराजी नंबर 1962 रकबा .58 हैक्टर को किसी अन्य को आवंटित/हस्तान्तरित नहीं करे तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07–09–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर